प्रेस विज्ञप्ति

24.1.2026

(सीट ब्लॉकिंग घोटाला)

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बेंगलुरु आंचलिक कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों से संबंधित 1 प्लॉट और 2 फ्लैट सहित 19.46 करोड़ रुपये के बाजार मूल्य वाली 3 अचल संपत्तियों को 21.01.2026 को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है।

बेंगलुरु के मल्लेश्वरम पुलिस स्टेशन और हनुमंतनगर पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर, ईडी ने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण के माध्यम से इंजीनियरिंग सीटों में प्रवेश के दौरान सीट ब्लॉकिंग घोटाले और प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शुल्क से अधिक नकद वसूली के मामले में जांच शुरू की।

ईडी ने इस मामले में 25.06.2025 और 26.05.2025 को तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में पता चला कि बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान निर्धारित शुल्क से अधिक बेहिसाब नकद राशि वसूल की जा रही थी।

ईडी द्वारा की गई जांच में पता चला कि बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटें कॉलेज प्रबंधन द्वारा बिचौलियों और एजेंटों के माध्यम से बेची जा रही थीं। बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट का प्रबंधन छात्रों से सीधे और शैक्षिक सलाहकार के रूप में काम करने वाले एजेंटों के माध्यम से नकद राशि वसूल रहा था। इस प्रकार एकत्रित की गई राशि का खुलासा बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट के खातों में नहीं किया गया है।

ईडी द्वारा की गई तलाशी में बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों/प्रबंधन और एजेंटों के परिसरों से 1.86 करोड़ रुपये जब्त किए गए। इसके अलावा, बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में इंजीनियरिंग सीटों की बिक्री से प्राप्त 20.20 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी से संबंधित साक्ष्य भी जब्त किए गए हैं। एकत्र किए गए साक्ष्यों में डायरी नोट, व्हाट्सएप चैट आदि शामिल हैं, जिनकी पुष्टि संबंधित व्यक्तियों यानी कॉलेज स्टाफ, प्रबंधन कर्मियों, संबंधित एजेंटों आदि ने की है।

जांच में पता चला है कि इंजीनियरिंग सीटों की बिक्री से प्राप्त बेहिसाब नकदी का इस्तेमाल बीएमएस एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टियों के निजी लाभ के लिए किया गया है।

आगे की जांच जारी है।